संख्या-23 /2019/221/22-4-19-48(82)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक- 29 मार्च, 2019**

विषय- आदर्श कारागार लखनऊ, जिला कारागार देवरिया एवं जिला कारागार आगरा के निष्प्रयोज्य हुए ट्रैक्टर के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप 01-01 नग(कुल 03 नग) ट्रैक्टर क्रय हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-42746/कृषि-(2)/115/2018, दिनांक-31.12.2018 एवं पत्र संख्या-4672/कृषि-2/115/2018, दिनांक-21.02.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आदर्श कारागार लखनऊ, जिला कारागार देवरिया एवं जिला कारागार आगरा के निष्प्रयोज्य हुए ट्रैक्टर के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप 01-01 नग(कुल 03 नग) न्यू हालैण्ड ट्रैक्टर(48.75 एच0पी0 व 2250 आर0पी0एम0) जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु (निम्न विवरणानुसार) रू0 4,80,000/- प्रति ट्रैक्टर की दर से रू0 14,40,000/-(रूपया चौदह लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	कम्पनी का नाम	ट्रैक्टर का प्रकार	प्रति ट्रैक्टर मूल्य	ट्रैक्टर की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	न्यू हालैण्ड	4710एम0सी0एस0सी0 48.75 एच0पी0 व 2250 आर0पी0एम0	रू0 4,80,000/-	03 नग	रू0 14,40,000/-
				योग-	रू0 14,40,000/-

(1) ट्रैक्टर का प्रतिस्थापन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम **उद्यम** अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा ई-मार्केटप्लेस(GeM) की व्यवस्था/इस सम्बन्ध में निर्गत संगत क्रयादेशों/नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहन के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृ त धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहन की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे वाहन की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) वाहनो के क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के लेखाशीर्षक "2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-599/दस/2019, दिनांक- 28 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-**23**/2019/221(1)/22-4-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ, अधीक्षक जिला कारागार, देवरिया एवं आगरा।

(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in